मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 18/04/2023

क्र. एफ 16-53/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीना रिफाइनरी) द्वारा लगभग राशि रू. 37,000-40,000 करोड़ (पुनरीक्षित निवेश लगभग राशि रू. 43,000-50,000 करोड) के निवेश से बीना स्थित रिफाइनरी का विस्तार तथा पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2205080002) पर समसंख्यक आदेश दिनांक 15/09/2022 से स्वीकृत सुविधाओं को निरस्त कर निम्नानुसार सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. **(अ) एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति-** परियोजना के संबंध में निम्न 4 मदों पर 60 प्रतिशत की दर से बिन्दु 1(ब) में दर्शाई गई वार्षिक सीमा के अधीन:-

i परियोजना अंतर्गत निर्मित उत्पादों के मध्यप्रदेश के अंदर विक्रय पर आइजीएसटी/एसजीएसटी की क्रेडिट के समायोजन के उपरांत नगद चुकायी गयी एसजीएसटी की राशि, तथा

ii मध्यप्रदेश के जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीयत व्यवसाईयों से क्रय किये गये इनपुट्स/इनपुट सर्विसेज/कैपिटल गुड्स पर चुकायी गयी एसजीएसटी की वह राशि, जिसकी क्रेडिट का समायोजन इकाई की एसजीएसटी की आउटपुट लायबिल्टी के विरूद्ध किया गया हो (परियोजना निर्माण के लिए क्रय किये गये इनपुट्स/इनपुट सर्विसेज/कैपिटल गुड्स को छोड़कर), तथा

iii जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीयत मध्यप्रदेश के व्यवसायियों से क्रय किये गये इनपुट्स/इनपुट सर्विसेज/कैपिटल गुड्स पर इकाई द्वारा चुकाई गई एसजीएसटी की वह राशि, जिसकी क्रेडिट इकाई को मध्यप्रदेश राज्य के जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त नहीं होनी है (परियोजना निर्माण के लिए क्रय किये गये इनपुट्स/इनपुट सर्विसेज/कैपिटल गुड्स को छोड़कर), तथा

iv राज्य के बाहर से क्रय किये गये इनपुट्स/इनपुट सर्विसेज/कैपिटल गुड्स पर चुकाये गये आईजीएसटी के विरूद्ध प्राप्त होने वाली आईजीएसटी की क्रेडिट में से जितनी क्रेडिट का समायोजन इकाई की एसजीएसटी की आउटपुट लायबिल्टी के विरूद्ध किया गया हो,

(ब) एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की वार्षिक अधिकतम सीमा:-

वर्ष	**वर्षवार देय अधिकतम एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता (रू. करोड में)**	**वर्ष**	**वर्षवार देय अधिकतम एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता (रूपये करोड में)**
1	750	9	1,036
2	786	10	1,071
3	821	11	1,107
4	857	12	1,143
5	893	13	1,179
6	929	14	1,214
7	964	15	1,250
8	1,000		
कुल अधिकतम देय सहायता - रूपये 15,000 करोड			
उपरोक्त तालिका में उत्पादन प्रांरभ करने के वर्ष को पहला वित्तीय वर्ष माना जायेगा।			

निरंतर .....

(स). वर्ष-वार उपरोक्त तालिका अनुसार निर्धारित एसजीएसटी की अधिकतम राशि अनुसार (निर्माण अवधि में एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति छोडकर) किसी वर्ष शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति नहीं होने पर शेष अंतर की एसजीएसटी की राशि आगामी वर्ष में समायोजित की जा सकेगी, जिस वर्ष में उक्त राशि का समायोजन होगा, उस संबंधित वर्ष में तालिका में उल्लेखित वार्षिक देय अधिकतम सीमा (एसजीएसटी की) में वृद्धि होगी, परन्तु एसजीएसटी की अधिकतम देय सहायता (राशि रू. 15,000 करोड़) सीमा अप्रभावित रहेगी।

(द). परियोजना के निर्माण हेतु क्रय किए गए इनपुट्स/इनपुट सर्विसेज/कैपिटल गुड्स एवं आई.टी.सी. हेतु अपात्र इनपुट्स पर चुकाई गई एसजीएसटी राशि की (उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 (अ) में शामिल मदों को छोड़कर), शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात 5 वर्ष में समान किश्तों में की जायेगी। यह प्रतिपूर्ति की राशि तालिका की वार्षिक अधिकतम सीमा से पृथक होगी परन्तु एसजीएसटी की **15** वर्षों में अधिकतम देय कुल सहायता राशि रू. 15 हजार करोड की सीमा अंतर्गत होगी।

2. **एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की सीमा एवं समयावधि:-** परियोजना अंतर्गत कुल एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति (निर्माण अवधि हेतु एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति को सम्मिलित करते हुए) अधिकतम सीमा रू. 15,000 करोड़ तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से **15** वर्षों तक होगी।

3. **ब्याज मुक्त ऋण** - एमपीआईडीसी द्वारा इकाई को रू. 500 करोड प्रतिवर्ष का ब्याज मुक्त ऋण वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक से 15 वर्षो की अवधि तक प्रदान किया जाये। इकाई द्वारा ऋण राशि का वर्षवार पुनर्भुगतान हेतु प्रथम वर्ष में वितरित किये गये ऋण की दिनांक को आधार मानते हुये, प्रथम वर्ष में वितरित ऋण का पुनर्भुगतान 16वें वर्ष में, द्वितीय वर्ष में वितरित ऋण का पुनर्भुगतान 17वें वर्ष में, इस प्रकार 15वें वर्ष में वितरित ऋण का पुर्नभुगतान 30वें वर्ष में किया जाये।

4. **ब्याज अनुदान सहायता-** कंपनी द्वारा किसी बैंक/वित्तीय संस्था से परियोजना के स्थापना हेतु लिये गये टर्मलोन के विरूद्ध कंपनी द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि हेतु MPIDC को प्रस्तुत किए गए cumulative प्रमाण-पत्र के आधार पर अधिकतम रू. 320 करोड प्रतिवर्ष, 15 वर्षों में अधिकतम सीमा राशि रू. 4800 करोड प्रतिपूर्ति की जाये।

5. **विद्युत संबंधी सुविधाएं** -

i. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये। 6वें वर्ष के अंत में इस सुविधा की अवधि में वृद्धि हेतु समीक्षा की जायेगी।

ii. **विद्युत शुल्क से छूट** - विद्युत वितरण कंपनी से प्राप्त विद्युत पर देय विद्युत शुल्क से 15 वर्ष हेतु छूट प्रदान की जाये।

निरंतर .....

iii. **पारेषण शुल्क से छूट** - इकाई द्वारा ओपन एक्सेस के माध्यम से क्रय की गई विद्युत पर पारेषण शुल्क से 15 वर्षो हेतु छूट प्रदान की जाये।

6. **स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति** - बैंक/वित्तीय संस्थाओं से किये जाने वाले ऋण अनुबंध, क्रेडिट डीड, मॉर्टगेज एवं ह्यपोथेकेशन संबंधी अभिलेखों पर देय स्टाम्प ड्यूटी से शत-प्रतिशत की छूट अधिकतम राशि रू. 15 लाख की प्रतिवर्ष सीमा तक 15 वर्षों के लिए प्रदान की जाये।

7. **अधोसंरचना विकास सहायता:-** परियोजना की बाहरी अधोसंरचना जैसे विद्युत, जल, सड़क/ रेल पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) के अनुसार प्राप्त होगी।

8. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ दिसम्बर, 2028 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये। यदि किसी कारणवश उत्पादन प्रारंभ करने में विलंब होता है तो उस स्थिति में निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति द्वारा विचारोपरांत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने हेतु 2 वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा।

9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मनीष सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल, दिनांक 18 /04/2023

पृ.क्र. एफ 16-53/2022/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/राजस्व विभाग/जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, सागर संभाग सागर।
4. कलेक्टर, जिला - सागर।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, प्रबंध संचालक, मेसर्स भारत पेट्रोकेमिकल कार्पोरेशन लि., प्रशासनिक भवन, रिफायनरी परिसर, पोस्ट - बी.ओ.आर.एल. आवासीय परिसर, बीना जिला - सागर।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग